

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 340/11

संस्थापन दिनांक:-11/10/11

फाईलिंग नं. 233504000492011

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

1. कसदन पिता सदया नागले, उम्र 63 वर्ष
2. मंजुलता पिता कसदन नगले, उम्र 60 वर्ष
दोनों निवासी हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी,
पुरानी इटारसी, थाना इटारसी,
जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 17.11.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने 29.05.2011 से 02.06.2011 के बीच फरियादी का निवास गोविंद कॉलोनी आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में पचास हजार रुपये तथा मारोति कार मांगने के लिए शास्ति कर दुष्प्रेरित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी की पुत्री एवं अभियुक्तगण के पुत्र का विवाह दोनों परिवार की सहमति से तय हुआ था। दिनांक 29.05.2011 को फरियादी की पुत्री की सगाई हुई थी तथा विवाह दिनांक 11.07.2011 को होना तय हुआ था। फरियादी ने विवाह संबंध निश्चित होने के बाद अभियुक्तगण से दहेज की मांग को लेकर पूछा था लेकिन अभियुक्तगण ने उस समय कोई मांग नहीं की थी। फरियादी ने दिनांक 29.05.2011 को सगाई कार्यक्रम पश्चात विवाह की अन्य तैयारियां एवं विवाह पत्रिकाएं अपने रिश्तेदारों के मध्य बांट दी थी। दिनांक 02.06.2011 को अभियुक्तगण ने फरियादी को फोन कर शादी की तैयारियों को लेकर पूछताछ की तथा कहा कि लड़का कृष्णा गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज कानपुर में लेक्चरर है, शादी उसकी हैसियत के हिसाब से होनी चाहिए, शादी आमला से नहीं करके मुलताई के

अरिहन्त लॉन से करने हेतु कहा तथा इटारसी से आमला बारात लाने व ले जाने के लिए बस किराये हेतु 50,000/- रुपये मांगते हुए लड़के की पसंद की मारुती कार की मांग की। फरियादी ने अभियुक्तगण को समझाया परंतु अभियुक्तगण ने मांग पूरी न करने पर सगाई तोड़ने की बात कही। फरियादी दिनांक 12.06.2011 को गौतम चंदेलकर एवं कुंजीलाल को लेकर अभियुक्तगण के निवास स्थान इटारसी गया और वहां उनसे दहेज की मांग के संबंध में चर्चा की तो अभियुक्तगण ने कहा कि उन्हें बस का किराया और मारुती कार दहेज में चाहिए और उनकी मांग पूरी नहीं हुई थी यह विवाह संबंध टूट जायेगा। अभियुक्तगण ने उसकी पुत्री की सगाई एवं दिनांक 11.07.2011 को आयोजित विवाह कार्यक्रम तोड़ दिया।

3 फरियादी दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क्र. 303/11 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी से विवाह पत्रिका एवं सगाई कार्यक्रम के फोटोग्राफ जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष है और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी अवैध रूप से दहेज में पचास हजार रुपये तथा मारुती कार मांगी ?
2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

6 महादेव (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसकी लड़की नीलम का विवाह अभियुक्त कसदन के पुत्र प्रवीण के साथ तय हुआ था। विवाह की तारीख 11.07.2011 तय की गयी थी। दिनांक 29.05.2011 को उसकी पुत्री नीलम की सगाई अभियुक्त कसदन के पुत्र प्रवीण के साथ हुई थी।

सगाई में 300 लोगों का भोजन एवं अन्य कार्यों में 80,000/- रुपये खर्च हुए थे। सगाई के बाद शादी की तैयारी हेतु टेंट हाउस, हलवाई, फोटोग्राफर आदि को तय करने में रुपये खर्च हुए थे। शादी की पत्रिका भी बांट दी गयी थी। अभियुक्त कसदन एवं मंजूलता ने शादी के पूर्व फोन करके 50,000/- रुपये एवं मारुति कार की दहेज में मांग की और कहा कि यदि ये देना मंजूर है तो रिश्ता मंजूर रहेगा। उसने अभियुक्तगण से कहा कि आपको जो भी मांगना था सगाई के पहले मांगते। फिर वह अपने पड़ोसी गौतम, कुंजीलाल के साथ अभियुक्तगण के घर इटारसी गया। तब अभियुक्तगण ने कहा कि जो हमने आपसे फोन पर मांगा है वो यदि आपको मंजूर तो रिश्ता होगा नहीं तो आगे रिश्ता नहीं रहेगा। इस वजह से उसकी मान हानि हुई। घटना की लिखित शिकायत उसके द्वारा थाना आमला में की गयी थी जिस पर से पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की और शादी की पत्रिका और फोटोग्राफ जप्त किये थे।

7 गौतम (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना महादेव के मकान आमला की थी। अभियुक्तगण महादेव के घर पर आये थे और महादेव की लड़की को पसंद कर लिया था। फिर कुछ कार्यक्रम हुआ था। बाद में अभियुक्तगण ने कहा कि हमें लड़की पसंद नहीं है। अभियुक्तगण ने महादेव से यह भी कहा था कि दूसरे लोग लड़के को फोर व्हीलर गाड़ी दे रहे हैं सोना दे रहे हैं, आप क्या दे सकते हो। साक्षी ने आगे यह बताया है कि अभियुक्तगण ने ऐसी मांग महादेव के समक्ष रखकर कहा कि हमें लड़की पसंद नहीं है, हम शादी नहीं करते। उसके सामने कोई सीधी मांग नहीं हुई थी। पुलिस ने उसके समक्ष महादेव से शादी के कार्ड, फोटोग्राफ जप्त किये थे। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके सामने महादेव से मारुति कार एवं पचास हजार रुपये की मांग की थी। स्वतः कहा कि फोर व्हीलर एवं सोना दूसरे लोग दे रहे हैं आप क्या दे सकते हो ऐसा कहा था।

8 आर.के. दुबे (अ.सा.-5) ने दिनांक 08.10.2011 को थाना आमला में टी.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी महादेव द्वारा लिखित आवेदन पेश करने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र. 303/11 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-10) लेखबद्ध करना एवं उक्त दिनांक को ही घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी-11) एवं फरियादी से विवाह पत्रिका एवं फोटोग्राफ जप्त कर (प्रदर्श पी-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-14 एवं प्रदर्श पी-15 तैयार किया था। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

9 राकेश गोस्वामी (अ.सा.-3) एवं शरद माहौले (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। राकेश (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसने महादेव की लड़की की सगाई में टेंट लगाया था और बिल भी महादेव को दे दिया था। इसके अलावा उसे प्रकरण की जानकारी नहीं है। शरद माहौले (अ.सा.-4) ने बताया है कि उसने महादेव चौकीकर की लड़की की सगाई की फोटो खींची थी, विडियो बनाया था और बिल महादेव चौकीकर को दे दिया था। इसके अलावा उसे प्रकरण की जानकारी नहीं है। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षीगण ने यह बताया है कि उनके समक्ष दहेज की मांग के संबंध में कोई भी विवाद या बातचीत नहीं हुई थी। अतः उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

10 महादेव (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने सगाई के बाद शादी की तिथि दिनांक 11.07.2011 तक दहेज की कोई मांग नहीं की थी। सगाई के दिन भी दोनों पक्षों के लगभग 300 लोग उपस्थित थे, तब भी अभियुक्तगण ने कोई मांग नहीं की थी। इसी पैरा में साक्षी ने स्वतः में कहा कि दिनांक 11.07.2011 की बात गलत है। इस सुझाव को गलत बताया है कि दिनांक 29.05.2011 से 08.10.2011 तक अभियुक्तगण द्वारा दहेज मांगने की बात किसी को नहीं बतायी थी। स्वतः कहा थाने में रिपोर्ट की थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 08 में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि घटना के पांच माह बाद थाने में रिपोर्ट नहीं कराया था। उसे आज याद नहीं है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट कब की थी। इस सुझाव को भी सही बताया है कि इटारसी पुलिस थाने में या एसपी बैतूल एवं होशंगाबाद में कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी थी। इस सुझाव को भी सही बताया है कि अभियुक्त कसदन के पुत्र जिससे उसकी पुत्री का विवाह तय हुआ था उसके विरुद्ध भी कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी थी। उसके लिखित आवेदन में ऐसा नहीं लिखा है कि अभियुक्तगण ने टेलीफोन में दहेज की मांग की। अभियुक्तगण को उसने दहेज का सामान या दहेज में कोई पैसे भी नहीं दिये थे। साथ ही 80,000/- रुपये विवाह में खर्च किये हो इसके लिए भी कोई बिल नहीं लगाया है।

11 महादेव (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 11 में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने मोबाईल पर फोन करके बुलाया था इसका उल्लेख उसने लिखित आवेदन में नहीं किया था और न ही अभियुक्तगण की ओर से जिस नंबर से फोन आया था उसकी डिटेल् पुलिस को दी थी। इस सुझाव को भी

सही बताया है कि दिनांक 02.06.2011 को अभियुक्तगण से बात हुई थी लेकिन दिनांक 12 जून 2011 तक पुलिस को उसने अभियुक्तगण द्वारा दहेज मांगने की कोई शिकायत नहीं की थी और न ही उक्त तिथि को की थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त मंजूलता ने पुलिस एवं अन्य अधिकारियों को 14 जून 2011 को यह शिकायत की थी कि वह झूठे मामले में उन्हें फंसाने की धमकी दे रहा है। उसके द्वारा इस बात की कोई जांच पड़ताल नहीं की गयी थी कि उसका होने वाला दामाद क्या करता है और न ही नौकरी के संबंध में पूछताछ की थी। इस सुझाव को सही बताया है कि उसकी लड़की की शादी हो चुकी है और लड़की ने अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि जैसे ही उसे यह मालूम पड़ा की लड़का नौकरी में नहीं है तो उसने स्वयं ही अभियुक्तगण को दहेज के मामले में झूठा फंसाया है।

12 गौतम (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि फोर व्हीलर गाड़ी और सोना दिये जाने की बात अभियुक्तगण ने महादेव के घर पर बोला था। उसके समक्ष अभियुक्तगण द्वारा कोई सीधी मांग फरियादी महादेव से नहीं की गयी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि पुलिस ने उसके सामने कोई पूछताछ नहीं की थी और उससे कुछ जप्त भी नहीं किया था। उपर्युक्त साक्षी ने अभियोजन के अनुरूप कथन नहीं किये हैं और न ही साक्षी अपने कथनों पर स्थिर है। ऐसी स्थिति में साक्षी के कथनों पर विश्वास किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

13 महादेव (अ.सा.-1) ने उसकी पुत्री नीलम की सगाई दिनांक 29.05.2011 में होना बताया है। तत्पश्चात विवाह की तारीख 11.07.2011 तय होना बताया है। साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा सगाई के समय दहेज की मांग न किया जाना बताया है। परीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि फोन पर अभियुक्तगण ने दहेज में एक मारुती कार और पचास हजार रुपये की मांग की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि दिनांक 02.06.2011 को अभियुक्तगण से फोन पर बात हुई थी और दिनांक 12.06.2011 को वह अभियुक्तगण के घर गया था परंतु उपर्युक्त तिथियों के मध्य उसने अभियुक्तगण की कोई शिकायत नहीं की थी और न दिनांक 12.06.2011 को इटारसी में या आमला वापस आकर थाना आमला में शिकायत की। फरियादी महादेव ने अपने पड़ोसी गौतम के साथ इटारसी अभियुक्तगण के घर जाना बताया है परंतु गौतम (अ.सा.-1) ने इस संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं। साथ ही साक्षी ने घटना फरियादी के घर की होना बताया है। फरियादी के द्वारा घटना की रिपोर्ट विवाह की तय तारीख दिनांक 29.05.2011 के लगभग तीन माह बाद दिनांक 08.10.2011 को थाने में रिपोर्ट की गयी है। कोई भी स्पष्ट कथन फरियादी ने इस संबंध में नहीं

किये है कि अभियुक्तगण ने किस तिथि को, किस समय, किस नंबर से फोन करके मारुति कार एवं पचास हजार रुपये की मांग की। फरियादी के द्वारा काफी लंबे समय के बाद अभियुक्तगण की रिपोर्ट की गयी है। फरियादी का यह आचरण अत्यन्त अस्वाभाविक प्रतीत हो रहा है। फरियादी के कथनों की पुष्टि किसी भी साक्षी के कथनों से नहीं होती है। अतः यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्तगण ने फरियादी से पचास हजार रुपये एवं मारुति कार की मांग की।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

14 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में पचास हजार रुपये तथा मारुति कार मांगने के लिए शास्ति कर दुष्प्रेरित किया। फलतः अभियुक्तगण कसदन एवं मंजूलता को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

15 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)